

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-588/एक-10-2020-33(221)/2011
लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ के पत्रांक-18/64/(VII)/आ0प्र0प्रशि0/2018-19, दिनांक: 19 मई, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में "प्रदेश के लेखपालों हेतु आपदा प्रबन्धन क्षमता निर्माण" विषयक राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 3,63,26,690/- (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार छः सौ नब्बे मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिये उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वर्ष 2020-21 में रू0 74,25,000/- (रू0 चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	मद	सत्र संख्या	प्रति सत्र प्रतिभागी संख्या	कुल प्रतिभागी संख्या	सत्र संचालन हेतु प्रति सत्र बजट	कुल व्यय होने वाली धनराशि
1	राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टी0ओटी0	3	30	90	2,25,000	6,75,000
2	जनपद स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	75	30	2250	90,000	67,50,000
कुल योग		78	60	2340	3,15,000	74,25,000

- (1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका /बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

- (6) समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं० आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

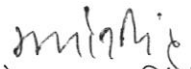
(लालू)
विशेष सचिव।

संख्या-588(1)/एक-10-2020-33(221)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।
४

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-24/11/2020

प्रेषण संख्या:- 588
आवंटन आदेश संख्या:- 188-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2254-जिला0 द्वारा नामित अधि- नए जिले-सं0 निदे0 आ0 वि0अ, - -01-दीनदयाल उपाध्याय रा0 ग्रा0 वि0 सं0 लखनऊ	वर्तमान प्रगामी	7425000 7425000	7425000 7425000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7425000 7425000	7425000 7425000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौहत्तर लाख पच्चीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौहत्तर लाख पच्चीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन